केन्द्र प्रवर्तित "स्वच्छ भारत मिशन" के अंतर्गत

"मिशन क्लीन सिटी (MCC)"

(छ.ग. प्रदेश के नगरीय निकायों में, पुनर्चक्रित किये जाने योग्य कचरे के पृथकीकरण आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)

–:: दिशा–निर्देश ::–

योजना परिचय :–

भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाना है। यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम–2016 के अंतर्गत सभी निकायों के लिए अनिवार्य है। इसके अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे का एसएलआरएम सेन्टर एवं कम्पोस्टिंग शेड तक परिवहन तथा यूजर चार्ज की वसूली किया जाना है। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठोस पुनर्चक्रीकरण योग्य कचरे का पृथकीकरण पर आधारित एसएलआरएम मॉडल प्रारंभ किया गया है, जो कि देश में इनोवेटिव्ह प्रेक्टिस के रूप में परिलक्षित हुआ है।

समय–समय पर आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों और कार्यशालाओं में भी सम्मिलित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा उक्त मॉडल की स्वीकार्यता को देखते हुए, राज्य शासन द्वारा 03 नगर पालिक निगमों (जगदलपुर, धमतरी एवं चिरमिरी) तथा समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में उपरोक्त मॉडल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का निर्णय लिया गया है।

राज्य प्रवर्तित मिशन क्लीन सिटी में, सूखा एवं गीला कचरा पृथक–पृथक एकत्र किये जाने का प्रावधान है। एकत्रित कचरे में से सूखा कचरा सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट (एसएलआरएम) सेन्टर में, विभिन्न भागों में विभक्त कर, रिसाईकिलिंग उद्योगों को विक्रय किया जावेगा। एकत्रित गीले कचरे से, कम्पोस्टिंग शेड्स में खाद तैयार की जाएगी। स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा से चयनित अनुबंधित एजेंसी को यूजर चार्जेस, रिसाईकिलिंग कचरे तथा खाद विक्रय से आय प्राप्त होगी। निविदा में प्राप्त दर राशि के अनुसार, इससे निकाय को मासिक आय प्राप्त होगी अथवा निकाय द्वारा एजेंसी को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अतिरिक्त भुगतान की स्थिति में परीक्षण उपरान्त गुणदोष के आधार पर अंतर राशि अनुबंधित एजेंसी को भुगतान की जावेगी।

उपरोक्त वर्णित नगरीय निकायों में दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु परिस्थितिजन्य निर्णय लेने के लिए, **राज्य शासन एतद् द्वारा जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी घोषित करते हुए, मिशन मोड पर कार्य संपादित करने हेतु उन्हें योजना में निहित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए, केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं में, छ.ग. कामकाज संचालन नियम 1998 के नियम–5 के अंतर्गत राज्य शासन के समस्त वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते है।**

योजना का क्रियान्वयन :–

1. **प्रशिक्षण :–** परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न हितधारकों को पृथक–पृथक चरणों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान प्रदान किया जायेगा।

   I. **सर्वेक्षण दल का प्रशिक्षण –** डोर टू डोर सर्वेक्षण करने हेतु सर्वे दल के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिलावार/निकायवार निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा दी जायेगी।

   II. **सलाहकार/आर्किटेक्ट का प्रशिक्षण –** डीपीआर पार्ट–। तैयार करने हेतु यांत्रिकी प्रकोष्ठ द्वारा नगरीय निकायों हेतु नियुक्त किये गए सलाहकार/आर्किटेक्ट को विभाग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

   III. **संभावित सेवाप्रदाता (ठेकेदार, संस्थाएं/पंजीकृत स्व–सहायता समूह और गैर असंगठित कामगारों की सोसायटी तथा बेरोजगार इंजीनियर्स) योजना में काम करने वाले मानव संसाधन आदि का प्रशिक्षण –** योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निकाय स्तर पर अधिक मात्रा में स्वरोजगारियों/प्रबंधक स्तर के मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इस हेतु आवश्यक मानव संसाधन सृजित करने हेतु, प्रस्तावित व्यवसायिक मॉडल, व्यवहारिक तौर–तरीके आदि के संबंध में लघु प्रशिक्षण विभाग द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को निःशुल्क प्रदान किया जावेगा।

2. **सर्वेक्षण :–** निकाय के समस्त आवासगृहों/व्यवसायिक दुकानों/वृहद ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण निकाय द्वारा पंजीकृत स्वसहायता समूहों के माध्यम से वार्डवार कराया जावेगा, जिसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में प्रविष्टियाँ दर्ज कर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे। स्वसहायता समूहों द्वारा सर्वेक्षण कार्य निकाय के अभियंता, राजस्व प्रभारी तथा स्वच्छता प्रभारी की संयुक्त समिति के अधिनस्थ किया जावेगा, जिसके आधार पर निकाय द्वारा रिकार्ड तैयार किया जावेगा।

उपरोक्त सर्वेक्षण को नजरी–नक्शा पर चिन्हांकित कर, डोर–टू–डोर कलेक्शन हेतु रिक्शा/आटो/अन्य वाहन के रूटचार्ट डीपीआर निर्माण कार्य हेतु अनुबंधित कंसलटेंट (आर्किटेक्ट) द्वारा तैयार किये जावेंगे।

सर्वेक्षण कार्य हेतु स्वसहायता समूहों द्वारा निकाय में जमा किये जाने वाले आवेदनों का परीक्षण कर, 10 रू. प्रति संरचना (आवासगृहों/व्यवसायिक दुकानों/वृहद ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों) के मान से संबंधित स्वसहायता समूहों को मात्र आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त राशि मांग के अनुसार यथा सूडा/संचालनालय द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

3. **विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पार्ट–। तैयार करना :–** योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) 02 चरण में तैयार किया जावेगा। प्रथम चरण हेतु प्रारूप नोडल एजेंसी (सूडा) द्वारा जारी किया जावेगा, जिसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज कर, डीपीआर पार्ट–। निकाय/निकाय हेतु संचालनालय यांत्रिकी प्रकोष्ठ द्वारा नियुक्त कंसलटेंट (आर्किटेक्ट) द्वारा तैयार किया जावेगा। कंसलटेंट (आर्किटेक्ट) द्वारा सामग्री/वाहन/औजार/मानव संसाधन आदि की आवश्यकता का आकंलन विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर प्रारूप में किया जाएगा। निकाय द्वारा अलग से कोई कंसलटेंट या आर्किटेक्ट नियुक्त नहीं किया जावेगा।

पार्ट–। डीपीआर में रूट/बीट प्लानिंग, एसएलआरएम सेन्टर एवं खाद संयंत्र का वैज्ञानिक रीति से चयन, ड्राईंग–डिजाईन तथा प्राक्कलन, डस्टबीन/रिक्शा/अन्य वाहन एवं उपकरण का आंकलन, सफाई अमले का आंकलन, ड्यूटी चार्ट, आय–व्यय का आंकलन, यूजर चार्जेस/गैप फंडिंग की आवश्यकताओं के आंकलन, विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति का आंकलन एवं कन्वर्जेंस तथा अन्य आनुषांगिक कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। डीपीआर पार्ट–। का प्रारूप मुख्य अभियंता, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संचालनालय द्वारा जारी किया जावेगा।

इन कार्यो इत्यादि का भुगतान योजना में होने वाले निर्माण कार्यों की लागत के लिए पूर्व निर्धारित प्रतिशत के आधार पर देय होगा। इसमें सामग्री/वाहन/औजार इत्यादि क्रय करने पर होने वाला व्यय के अनुसार भुगतान सम्मिलित नहीं होगा।

पार्ट–।। डीपीआर में पार्ट–। डीपीआर के अनुसार क्रियान्वित योजना की समीक्षा उपरान्त अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन जैसे एसएलआरएम की संख्या, खाद संयंत्र की

संख्या, अतिरिक्त मानव संसाधन की संख्या, लैण्डफिल साईट का चयन, डिजाईन एवं संचालन का तंत्र आदि सम्मिलित होंगे। पार्ट–।। डीपीआर हेतु सूडा द्वारा कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए पृथक से निकायों को सूचित किया जावेगा।

4. **एसएलआरएम सेंटर :–**

अ. भूमि का चयन – एसएलआरएम सेन्टर तथा कम्पोस्टिंग का निर्माण निकाय/शासन की भूमि पर किये जाने का प्रावधान डीपीआर पार्ट–। में किया जावेगा। एसएलआरएम सेन्टर का निर्माण हेतु भूमि का चयन इस प्रकार किया जावेगा कि, डोर टू डोर कलेक्शन वाले रिक्शा/अन्य वाहनों को अधिक दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु कम्पोस्टिंग कार्य हेतु स्थल का चयन शहर की बसाहट से बाहर करना अनिवार्य होगा।

सॉलिड वेस्ट मैनेजेंट से संबंधित उपरोक्त कार्यो के लिए शासकीय भूमि **छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 4–96/सात–1/2014 दिनांक 21.08.2014 के माध्यम से** जिला कलेक्टर द्वारा 1 रू. प्रति फुट के सांकेतिक दर पर आबंटित की जावेगी। निकाय को यदि सॉलिड वेस्ट मैनजेंट हेतु जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आबंटित की गई है तो, उक्त स्थल पर एक साईड में कम्पोस्टिंग शेड का निर्माण किय जावेगा। ताकि भूमि के मध्य मे निर्माण होने से रिक्त भूमि का दुरूपयोग न हो।

ब. एसएलआरएम सेंटर का निर्माण– चयनित 03 नगर पालिक निगमों में दस–दस, नगर पालिकाओं में चार–चार तथा नगर पंचायतों में एक–एक एसएलआरएम सेन्टर (SLRM) के निर्माण का प्रावधान डीपीआर पार्ट–। में किया जावेगा, एसएलआरएम सेन्टर की मानक ड्राईंग एवं प्राक्कलन तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संचालनालय को अधिकृत किया जाता है। उनके द्वारा मानक ड्राईंग एवं प्राक्कलन पृथक से जारी किये जावेंगे।

स्थल की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार ड्राईंग एवं डिजाईन में कंसलटेंट/आर्किटेक्ट द्वारा परिवर्तन किया जाना अनुज्ञेय होगा। तदानुसार ड्राईंग एवं डिजाईन का अनुमोदन एवं प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया अनुसार धारणाधिकार रखने वाले सक्षम श्रेणी के अभियंता से प्राप्त कर, डीपीआर में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

शहर के मध्य में, वैज्ञानिक रीति (रूट/बीट प्लान अनुसार) से चयनित एसएलआरएम सेन्टर का, स्थल चयन इस योजना के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अतएव पूर्ण सतर्कता एवं ध्यान देकर युक्तियुक्त स्थल का चयन किया जावेगा।

स. एसएलआरएम सेंटर के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण :– जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में एसएल आरएम सेन्टर में कार्यरत एजेंसी के कर्मचारियों का नियमित मासिक स्वास्थ्य परीक्षण शासकीय जिला चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए अनुबंध एजेंसी से कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।

द. डोर टू डोर कलेक्शन एवं एसएलआरएम सेन्टर में कार्यरत कर्मियों को वर्दी, पहचान पत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना :– राज्य प्रवर्तित रेग पिकर्स कल्याण योजना/अन्य मद से डोर टू डोर कलेक्शन एवं एसएलआरएम सेन्टर में कार्यरत कर्मियों को **प्रथम ठेके** में 02–02 वर्दी, पहचान पत्र एवं उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। आगामी द्वितीय एवं आवर्ती ठेकों में इस संबंध में विचारोपरांत पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

5. **डोर टू डोर कलेक्शन :–** डोर टू डोर कलेक्शन हेतु सूखे (Recyclable) एवं गीले कचरे (Bio Degradable) के लिए पृथक–पृथक डस्टबिन की आवश्यकता का निर्धारण किया जाकर, मूल्यांकन किया जावेगा तथा राशि के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियॉ डीपीआर में दर्ज की जावेगी। उपरोक्त डस्टबिन नागरिकों को एक बार निःशुल्क प्रदान किये जावेंगे। भविष्य में उपरोक्त डस्टबिन टूटने पर संबंधित नागरिक को स्वयं के व्यय से क्रय करना अनिवार्य होगा। नागरिकों को सूख एवं गीला कचरा पृथक–पृथक डस्टबिन में संग्रहणकर्ता को देना अनिवार्य होगा। अन्यथा स्थिति में उनके विरूद्ध शास्ति आरोपित की जावेगी।

6. **डस्टबीन फ्री सिटीः–** डोर टू डोर कलेक्शन निकायों में प्रारंभ होने के उपरांत किसी भी प्रकार की डस्टबीन/कचरा एकत्रीकरण के स्थान वार्ड के रहवासी क्षेत्र में नहीं होंगे तथा प्रत्येक व्यवसायिक क्षेत्र में न्यूनतम 06 डस्टबीन के मान से स्थापित किये जावेंगे। डस्टबिन की आवश्यकता का निर्धारण किया जाकर, मूल्यांकन किया जावेगा तथा राशि के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियॉ डीपीआर में दर्ज की जावेगी। उपरोक्त डस्टबिन ऐसे क्षेत्रों में निकाय द्वारा स्थापित किये जावेंगे।

7. **कम्पोस्टिंग :–** सामान्यतः जीरो वेस्ट के लिए शहर के नागरिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा, किन्तु इस प्रक्रिया में नागरिकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रचार–प्रसार किया जायेगा। अतएव कम्पोस्टिंग हेतु आबादी से समुचित दूरी पर कम्पोस्टिंग के लिए एक शेड्स का निर्माण किया जावेगा। कम्पोस्टिंग शेड्स का मानक ड्राईंग एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संचालनालय को अधिकृत किया जाता है। उनके द्वारा मानक ड्राईंग एवं प्राक्कलन पृथक से जारी किये जावेंगे।

स्थल की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार ड्राईंग एवं डिजाईन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञेय होगा। तदानुसार ड्राईंग एवं डिजाईन का अनुमोदन एवं प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया अनुसार धारणाधिकार रखने वाले सक्षम श्रेणी के अभियंता से प्राप्त कर, डीपीआर में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में उत्पादित खाद के विक्रय हेतु संबंधित एजेंसी से निकाय द्वारा एमओयू की कार्यवाही की जावेगी।

शहर की बसाहट के बाहरी हिस्से में कम्पोस्टिंग शेड का स्थल चयन इस योजना के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अतएव पूर्ण सतर्कता एवं ध्यान देकर युक्तियुक्त स्थल का चयन किया जावेगा।

8. **वाहन, उपकरण, वर्दी एवं आनुषांगिक अन्य सामग्री क्रय :–** योजना के अंतर्गत वाहन, उपकरण, वर्दी एवं आनुषांगिक अन्य सामग्री का क्रय छ.ग. भण्डार क्रय नियम 2002 के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार का शिथिलीकरण नहीं होगा।

9. **एजेंसी का चयन –** डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे का एसएलआरएम सेन्टर एवं कम्पोस्टिंग शेड तक परिवहन, यूजर चार्ज की वसूली, कचरे की पृथकीकरण, एसआरएलएम सेंटर के रखरखाव तथा संचालन एवं कम्पोस्टिंग के लिए स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा (आरएफपी) के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जावेगा। एजेंसी के रूप में ठेकेदार, संस्थाएं/पंजीकृत स्व–सहायता समूह और गैर असंगठित कामगारों की सोसायटी तथा बेरोजगार इंजीनियर्स आरएफपी में भाग ले सकेगें। पंजीकृत स्व–सहायता समूहो तथा असंगठित कामगारों के सोसायटियों तथा बेरोजगार इंजीनियर्स को धरोहर राशि से छूट प्रदान की जावेगी। मिशन मोड पर कार्य करने हेतु आरएफपी की अवधि 15 दिवस निर्धारित की जाती है। आरएफपी जारी करने के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर से प्राप्त की जावेगी। निविदा उपरांत, छ.ग. कामकाज संचालन नियम 1998 के नियम 6(1) के (यथा क, ख एवं ग) अंतर्गत गठित निकाय की निविदा समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरण यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अनुशंसा अनुसार जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जावेगा, जिस पर वित्तीय स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की जावेगी।

10. **अनुबंध का निष्पादन :–** जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त, निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा चयनित एजेंसी से निर्धारित प्रारूप में संविदा/अनुबंध कारित किया जायेगा, अनुबंध का प्रारूप मुख्य अभियंता, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संचालनालय द्वारा पृथक से जारी किया जावेगा।

11. **योजना का अनुश्रवणः–** राज्य स्तर पर योजना का अनुश्रवण, मुख्य अभियंता यांत्रिकी प्रकोष्ठ पदेन राज्य स्वच्छता मॉनीटर तथा उप संचालक (अनुदान) पदेन उप स्वच्छता मॉनीटर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालकों तथा स्वच्छता मॉनीटर के माध्यम से किया जावेगा। जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर द्वारा की जावेगी। जिला कलेक्टर द्वारा योजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु डिप्टी कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जावेगा।

12. **लेखा संधारण :–** योजना में प्राप्त होने वाली राशि एवं व्यय होने वाली राशि का निकाय द्वारा विधिवत लेखा संधारण किया जावेगा।

13. **योजना का प्रचार–प्रसार :–** योजना को सफल बनाने के दृष्टिकोण से योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक होगा। इसके लिए सूडा द्वारा उपलब्ध स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सूचना संप्रेक्षण मद से निकाय को राशि उपलब्ध करायी जावेगी।

––00––

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र./6690/7045/2016/18 नया रायपुर दिनांक : 07/09/2016

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   जगदलपुर, धमतरी एवं चिरमिरी।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़।

विषय :– स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुनर्चक्रित किये जाने योग्य कचरे के पृथकीकरण आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु "मिशन क्लीन सिटी" के दिशा–निर्देश।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पुनर्चक्रित (Recycled) किये जाने योग्य कचरे के पृथकीकरण आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत "मिशन क्लीन सिटी (MCC) प्रारंभ की जा रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम–2016 का पालन समस्त नगरीय निकायों के लिए अनिवार्य है।

मिशन क्लीन सिटी प्रदेश के 03 नगर पालिक निगमों – अंबिकापुर, जगदलपुर एवं धमतरी तथा समस्त 44 नगर पालिका परिषदों तथा 111 नगर पंचायतों में लागू की जावेगी। योजना के अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निष्पादन किया जाना है। शेष 10 नगर पालिक निगमों द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु पृथक–पृथक योजनाएं निकाय स्तर पर तैयार की जा रही है।

राज्य प्रवर्तित मिशन क्लीन सिटी में, सूखा एवं गीला कचरा पृथक–पृथक एकत्र किये जाने का प्रावधान है। एकत्रित कचरे में से सूखा कचरा एसएलआरएम सेन्टर में, विभिन्न भागों में विभक्त कर, रिसाईकिलिंग उद्योगों को विक्रय किया जावेगा। एकत्रित गीले कचरे से, कम्पोस्टिंग शेड में खाद तैयार किया जावेगा।

अतएव उपरोक्तानुसार राज्य शासन द्वारा प्रदेश के उपरोक्त 158 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी के क्रियान्वयन किये जाने हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है एवं विभाग की वेबसाईट uad.cg.gov.in पर उपलब्ध है। योजना के दिशा–निर्देश अनुसार त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(जितेन्द्र शुक्ला)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग